

प्रेषक:

आयुक्त,
अलीगढ़ नगडल, अलीगढ़ रज अध्दक
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ नगडल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिविहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस0टी0/ एस0एस0सी0/

/2012-13 दिनांक - 31-12-2012

विषय: अलीगढ़ नगडल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916(1)/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 29.12.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार गुरुकुल पब्लिक स्कूल, सोमना रोड खैर, (अलीगढ़) को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

प्रतिबन्ध-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भौति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।

2

Principal

Gurukul Public School

Khair (ALIGARH)

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय रिजर्व्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम करायें।
10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जायें।
11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता। बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

(कुँवर विक्रम सिंह)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

कार्यालय- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या: एस0टी0/एन0ओ0सी0/ 5323-30 /2012-13 दिनांक वही।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उ0प्र0 शासन, शिक्षा 7 अनुभाग लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
5. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
7. प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
8. गार्ड फाइल।

Principal
Gurukul Public School
Khair (ALIGARH)

डा0(अंजना गोयल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।